झारखंड में भीमराव अम्बेडकर आवास योजना

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबार दास ने राज्य में विधवाओं के लि डा0 भीमराव अम्बेडकर आवास योजना शुरू की इस योजना का उद्देश्य विधवाओं को मौद्रिक सहायता प्रदा उनके सर पर एक अदद छत मुहैया करना है जिससे उन्हें अपने जीवन को आसान बनाने में काफी मदद होगी।

भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के लाभ :

पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए सरकार 75,000 / - रुपये की वित्तीय सहायता देगी।

सामान्य मैदानी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 70000 रुपये की वित्तीय सहायत का प्रावधान है।

सहायता राशि सीधे बैंक खातों में जमा कर दी जाती है।

पात्रता :

झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

केवल विधवा म ओं को ही योजना का लाभ मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज :

आधार क

निवास प्रमाण प

पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

बैंक खाता विव

पासपोर्ट साईज फोटो

आवेदन कैसे करें :

आवेदन के लि ग्राम पंचायत या जिला परिषद में संपर्क कि या जा सकता है।